

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 02 / रथा० (विधान सभा)–12–04 / 2011 —————— / रॉची, दिनांक :————— /

कार्यालय आदेश

तृतीय झारखण्ड विधान सभा, का त्रयोदश (बजट) सत्र दिनांक 19.02.2014 से दिनांक 07.03.2014 तक की गई है। उक्त सत्र के दौरान पदाधिकारी दीर्घा में विभागीय पदाधिकारियों की प्रतिदिन उपस्थिति के निमित्त कार्य दिवस में तिथिवार भाग लेने हेतु कार्यालय आदेश सं.—1326 दिनांक 17.02.14 द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए

1. श्री जयप्रकाश लाल, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, रॉची एवं
2. श्री विजय शंकर, सहायक अभियंता, निदेशक, रूपांकण निदेशालय, रॉची की प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए निम्नांकित तिथियों के लिए उनके स्थान पर निम्नलिखित सहायक अभियंताओं को प्रतिनियुक्त किया जाता है :—

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान पदस्थापन/ मोबाईल नम्बर	झारखण्ड विधान सभा में प्रतिनियुक्ति की तिथि
1	2	3
1.	श्री मकर चौधरी सहायता अभियंता, लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, रॉची / 9431393520	28.02.2014
2.	श्री राजेन्द्र कुमार जैन सहायता अभियंता, निदेशक, रूपांकण निदेशालय, रॉची / 9470562750	04.03.2014

2. संबंधित सहायक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि सदन में उठाये जाने वाले विषयों के संबंध में अपनी चर्चा टिप्पणी प्रतिदिन विभागीय सचिव/ विधान सभा कोषांग (प्रशाखा—06) को उसी दिन 5.00 बजे अपराह्न में उपलब्ध करायेंगे ताकि विधान सभा सत्र के दौरान उठाये जाने वाले मामले पर समुचित कार्रवाई की जा सके।
3. विधान सभा परिसर/ पदाधिकारी दीर्घा में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्रक प्रतिनियुक्ति की तिथि के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे संबंधित पदाधिकारी विधान सभा कोषांग (प्रशाखा—06) से प्राप्त कर लेंगे।
4. संबंधित सहायक अभियंता, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) एवं अवर सचिव, प्रशाखा—06 (प्रभारी विधान सभा कोषांग) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची से दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क में रहेंगे एवं 11.00 बजे पूर्वाह्न एवं अपराह्न में अद्यतन रिथ्ति से अवगत करायेंगे।
5. मोबाईल नं.

 - (i) श्री शिवानन्द राय, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची। 9835167762
 - (ii) श्री संजय शरण, अवर सचिव, प्रशाखा—06 (प्रभारी विधान सभा कोषांग), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची। 9835170686

—३०—

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

1652

रॉची, दिनांक :- 22-2-14

प्रतिलिपि :- सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01, एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सभी सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अवर सचिव, प्रशाखा-06, प्रभारी (विधान सभा कोषांग)/ ब्रेव इफॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, रॉची, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१८/१५
२१.२.१५

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)

प्रियांका